ग्राम पंचायत गरोला, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2022 से 03/2024
भाग-एक

1 **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक 07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत गरोला, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पंचायत गरोला में निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री अजय सिंह	01-04-2022 से 31-03-2024

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री प्रदीप कुमार	01-04-2022 से 23-08-2022 तक
2.	श्री राकेश कुमार	24-08-2022 से 31-03-2024 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत गरोला, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
01.	15वें वित्तायोग की ई-ग्राम स्वराज में संधारित रोकड़ बही में व्यय वाउचरों का अनियमित समायोजन करने बारे।	5.2	2.13

02.	आपूर्तिकर्ताओं से बिना W, X फॉर्म प्राप्त किये अनियमित भुगतान के कारण सरकार को रॉयल्टी के तौर राजस्व की वित्तीय हानि।	8.2	12.76 0.56
03.	प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) की सम्भावित वित्तीय हानि।	8.3	0.61
04.	ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकारी राजकोष को वित्तीय हानि बारे।	8.4	0.03
05.	15वें वित्तायोग से बर्तन इत्यादि के क्रय पर अनियमित व्यय।	9.2	0.26
06.	निर्माण कार्य के दौरान शेष बची सामग्री का सम्भावित दुरूपयोग करने बारे।	9.3	1.10
07.	निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं में गलत गणना व अन्य अनियमितताओं के कारण अधिक भुगतान बारे।	9.4	0.03
08.	क्रय स्टोर/स्टॉक का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में न करना एवं संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही अनियमित भुगतान।	9.8 9.9	4.57 2.42
09	प्राप्त अनुदानों का उपयोग न करना	6.1	65.57
10	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	7.2	0.06

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत गरोला का अंकेक्षण, अवधि 04/2018 से 03/2019 तक किया गया था जिसमें सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/02 दिनांक 23-08-2024 एवं बार-बार मौखिक आग्रह उपरान्त कोई भी उत्तर पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक नहीं दिया गया। जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। गत अंकेक्षण पैरों पर कोई भी कार्रवाई न करना न केवल नियमों के प्रतिकूल है, अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल पैरों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

1. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2018 से 03/2019 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	3	अनिर्णीत	-
2.	4 (क,ख)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
3.	4.1 व 4.2	अनिर्णीत	-
4.	5	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
5.	6	अनिर्णीत	-
6.	7	अनिर्णीत	-
7.	8	अनिर्णीत	-
8.	8.1	अनिर्णीत	-
9.	9	अनिर्णीत	-
10.	10	अनिर्णीत	-
11.	11	अनिर्णीत	-
11.	12	अनिर्णीत	-
12.	13	अनिर्णीत	-
13.	14	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
14.	15	अनिर्णीत	-

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत गरोला, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 23-08-2024 से 31-08-2024 तक ग्राम पंचायत गरोला के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	10/2022	07/2022
2.	2023-2024	11/2023	12/2023

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत गरोला, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/13 दिनांक 31-08-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत गरोला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

(अ) स्व:-स्त्रोत व अनुदान: ग्राम पंचायत गरोला के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है:

1. स्व:-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2022-23	1031249.00	684439.00	1715688.00	1229083.00	486605.00
2023-24	486605.00	1010738.00	1497343.00	969585.00	527758.00

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष(₹)
2022-23	4242070.00	4324216.00	8566286.00	3316379.00	5249907.00
2023-24	5249907.00	7207960.00	12457867.00	5900598.80	6557268.20

कुल योग (1+2) **₹527758.00 + ₹6557268.20 = ₹7085026.20**

(ब) ग्राम पंचायत गरोला, का दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष विवरण

क्र० सं०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि (₹) 31-03-2024
1.	15th FC	50100355681301	HDFC Bharmour	4172457.00
2.	14th FC	50100314673903	HDFC Bharmour	74.00
3.	PMAAY(G)	99171100000252	HPGB Garola	2214146.20
4.	PMKSY/WDC	18410106452	HPSCB Garola	2417.00
5.	General	99171301701389	HPGB Garola	282582.00
6.	SF/5th SFC/ LADF /MPLAD	18410100466	HPSCB Garola	193967.00
			Cash In hand	626.00
			TOTAL	**₹6866269.20**

अन्तर (अ-ब) ₹7085026.20 - ₹6866269.20 = ₹218757.00

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹2.19 लाख का अन्तर :-

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत गरोला, द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3) व 10(1)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹218757 का अन्तर बैंक पासबुक में कम शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 29-08-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की

जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

5.2 15वें वित्तायोग की ई-ग्राम स्वराज में संधारित रोकड़ बही में राशि ₹2.13 लाख के व्यय वाउचरों का अनियमित समायोजन करने बारे :-

ग्राम पंचायत गरोला की ऑनलाइन संधारित रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा दिनांक 29-02-2024 को वाउचर संख्या 58 के द्वारा रोकड़ बही के व्यय पक्ष में राशि ₹213062 के समायोजित वाउचर दर्ज किये गए थे परन्तु इनसे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख एवं समर्थित बिल/वाउचर इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। अत: उक्त प्रविष्ट राशि से सम्बन्धित वाउचर किस समय के हैं, किस स्टॉक/स्टोर के हैं, उनका विवरण इत्यादि उपलब्ध किये बिना ही समायोजन वाउचरों को दर्ज करना संदिग्ध प्रतीत होता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 06 दिनांक 28-08-2024 को उक्त प्रकरण सचिव के समक्ष रखा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है उक्त वित्तायोग में प्रविष्ट राशि बिना अभिलेखों के अभाव में अनियमित व संदिग्ध प्रतीत होती है। अत: उक्त प्रविष्ट/दर्ज राशि से सम्बन्धित वांछित अभिलेखों को शीघ्र ही अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ प्रेषित करें अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹65.57 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹6557268.20 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बन्धित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करता है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 29-08-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.48 लाख की वसूली न करने बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत गरोला के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत बकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चूककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्न ₹47980 की राशि वसूली हेतु शेष थी।

वित्तीय-वर्ष	गत शेष (₹)	कुल परिवार (₹)	दर	वर्ष के दौरान मांग (₹)	कुल मांग (₹)	कुल प्राप्त राशि (₹)	बकाया राशि (₹)
2022-23	20780	680	20	13600	34380	0	34380
2023-24	34380	680	20	13600	47980	0	47980

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12 दिनांक 30-08-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली गई राशि ₹5950 को सरकारी राजकोष में जमा न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वसूली करने उपरान्त वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्नविवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹5950/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के सभा निधि के बैंक खाते में रखा गया था जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

वित्तीय वर्ष	**कुल पंजीकृत विवाह**	**APL Rate**		**राशि**	**Rate BPL**		**राशि**	**कुल राशि सामान्य व BPL**
		Without Late Fee	**With Late Fee**		**Without Late Fee**	**With Late Fee**		
2022-23	17	08@200	04@400	3200	02@25	03@50	200	3400
2023-24	13	08@200	02@400	2400	-	03@50	150	2550
कुल योग	**30**	**16@200**	**06@400**	**5600**	**02@25**	**06@50**	**350**	**5950**

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-12 दिनांक 30-08-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली उपरान्त उसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा।

अत: उपरोक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करने उपरान्त सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की

दैनिक कार्रवाई जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत गरोला के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12 दिनांक 30-08-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये।

8.2 आपूर्तिकर्ताओं को बिना W, X फॉर्म के राशि ₹12.76 लाख का अनियमित भुगतान के कारण सरकार को रॉयल्टी के तौर पर ₹0.56 लाख के राजस्व की हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फॉर्म-W) या सप्लीमेंट्री ट्रांजिट पास (फॉर्म-X) का उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची अनुसार रॉयल्टी का भुगतान पेनल्टी सहित किया जाना अपेक्षित है।

परन्तु ग्राम पंचायत गरोला, के अभिलेखों के चयनित माहों के अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णत: अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से अन्नापति प्रमाण पत्र/W,X-फॉर्म लिए बिना ही रेत,बजरी व पत्थर इत्यादि की आपूर्ति ली गई है। जिसके परिणामस्वरूप बिना W,X-फॉर्म लिए बिना जहाँ आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹1276201 का अनियमित भुगतान किया गया वही पर उक्त राशि पर सरकार को राशि ₹55776/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है।) की रॉयल्टी की वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04 दिनांक 28-08-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, नियमों की जानकारी न होने के अभाव में आपूर्तिकर्ताओं से रॉयल्टी की न तो कटौती की गई और न ही W,X फॉर्म लिए गए लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त फॉर्म उपरान्त ही क्रय किया जाना अपेक्षित था।

अत: उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का रिसाव हो रहा है अपितु इससे अवैध खनन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता । यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है । अत: इस अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.61 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे :-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत गरोला के अभिलेखों के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि की खरीद की गई थी एवं पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹1276201/- भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है ।) किया गया था परन्तु उक्त क्रय सामग्री के अधिकतर आपूर्तिकर्ता GST पंजीकृत नहीं है । फर्मों द्वारा पंचायत को प्रस्तुत बिल प्रॉपर/टैक्स बिल/कम्प्यूटर जनरेटेड न होकर केवल सादे कागज,रसीद, कैश मैमो व परफोर्मा बिल ही हैं जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी । यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर/टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹60771.48 की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है ।

उक्त गम्भीर प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 28-08-2024 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त पत्र द्वारा सूचित कि, उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पंचायत को केवल सादे कागज, रसीद, कैश मैमों व कुच्छ परफोर्मा बिल ही प्रस्तुत किया गए हैं यद्यपि पंचायत द्वारा इन बिलों पर भुगतान GST सहित किया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया गया है या नहीं इस मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से शीघ्र ही अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में टैक्स बिलों पर ही भुगतान किया जायेगा ।

अत: उक्त प्रकरण को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के सम्बन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमाविरुद्ध किये गए भुगतानों पर

देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से कर अदेयता के मामलों की संभावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.4 संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹3262 की वित्तीय हानि बारे :-

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(C) के अनुसार आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व TDS की कटौती करना एवं उसे सरकारी कोष में समयबद्ध तिथि को जमा करवाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत गरोला के अभिलेखों के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान संलग्न **परिशिष्ट "6"** के अनुसार राशि ₹163118/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जोकि न केवल आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना है अपितु इसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व में राशि ₹3262.36/- (2%) की वित्तीय हानि आहरण व संवितरण अधिकारी के कारण हुई है।

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 28-08-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, टी.डी.एस.के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में इसकी कटौती नहीं की गई परन्तु इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में टी.डी.एस की कटौती किये बिना किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा आयकर अधिनियमों के तहत आहरण व संवितरण अधिकारी से उक्त राशि की वसूली ब्याज सहित करके तुरंत सरकारी राजकोष में जमा करवाया जाये इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य मामलों में अपने स्तर पर गणना करके राशि को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

8.5 ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का

निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की चयनित माहों की लेखा परीक्षा के दौरान निम्नविवरणानुसार राशि ₹1048232 के करवाए गए कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन, व प्रपत्र-34 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

क्रम संख्या/अनुदान	**कार्य विवरण**	**स्वीकृत राशि (₹)**	**टिप्पणी**
1.15th FC	कार्य: सडक निर्माण सुरेश के घर से बणी पनिहार तक	198562	Estimate Work Order and Technical sanction order, Form 13C in Format-34.etc
2.15th FC	कार्य: पक्की गली विध ग्रिल आश्रम से नाला	199670	
3.15THFC	कार्य : सडक निर्माण राहला मोड़ से पनिहार	150000	do
4.15th FC	कार्य :पनिहार निर्माण द्रोवी गुवाड़	200000	do
5.LADF	कार्य: इन्टरलॉक टाइल्स पंचायत घर	300000	do
	कुल योग	**1048232**	

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 28-08-2024 द्वारा पंचायत सचिव को उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। इसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उक्त वांछित अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9.1 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹4.57 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की

औपचारिकतायें यथा निविदायें, कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत गरोला द्वारा राशि ₹456948/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "3"** में दिया गया है।) जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया। जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के सरकारी नियमों की अवहेलना भी की गई, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 28-08-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है एवं बिना कुटेशन के क्रय करना संदिग्ध प्रतीत होता है यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है।

9.2 15वें वित्तायोग से राशि ₹0.26 लाख का बर्तन इत्यादि के क्रय पर अनियमित व्यय :-

सचिव व निदेशक पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या PCH-HC(10)1/2018-15th FC-75344-439 दिनांक 02 सितम्बर 2021 के अंतर्गत 15वें वित्तायोग के तहत अनटाईड ग्रांट के अंतर्गत निहित **परिशिष्ट I व II** में उक्त अनुदान के अंतर्गत स्वीकार्य सांकेतिक मदों/कार्यों की सूची में ही व्यय किया जाना अपेक्षित था।

ग्राम पंचायत गरोला के व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा उक्त अनुदान से वाउचर संख्या 06 दिनांक 11-06-2022 को मैं० जैशी राम गंगथ, कांगड़ा से राशि **₹**26174 के खाना बनाने व खाने हेतु इस्तेमाल किये जाने वाले बर्तन इत्यादि का क्रय किया गया जोकि उक्त नियम/आदेश के तहत जारी स्वीकार्य सांकेतिक मदों/कार्यों की सूची में निहित न होने के कारण प्रतिकूल प्रतीत होता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 28-08-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसका कोई भी उत्तर सचिव द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक नहीं दिया गया। जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त वित्तायोग से बर्तन इत्यादि पर किये गये क्रय को वित्तायोग के दिशा-निर्देशों अनुसार न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उक्त व्यय की वसूली करके उक्त अनुदान में जमा करवाई जाये अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

9.3 ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण क्रय के दौरान बची हुई शेष सामग्री लागत राशि ₹1.10 लाख का सम्भावित दुरूपयोग :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार** सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा।

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु निम्नविवरणानुसार (व **परिशिष्ट "8")** सीमेंट, बजरी, रेत व पत्थर इत्यादि का क्रय किया गया एवं माप पुस्तिकाओं के अवलोकन में उक्त सामग्रियों की खपत व उपयुक्त सामग्री में से शेष बची सामग्री जिसकी लागत राशि ₹110403 थी, उसका न तो स्टॉक में बकाया शेष दर्शाया गया और न ही इसकी आगे कोई खपत दिखाई गई। इसके अतिरिक्त मापन पुस्तिका को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया था जो अनुचित व संदिग्ध प्रतीत होता है।

(क) निर्माण कार्यों के दौरान सीमेंट के शेष 82 बैग (राशि ₹37360) का सम्भावित दुरूपयोग।

1. Work: Pucca path Shiv Mandir to Kadini Head MGREGA MB No.29984 Page - 30					
Item no. & Nomenclature	**Executed Qty.**	**Cement Consumed**	**Cement Purchase**	**Material Balance**	**Rate per bag**
1.	**2.**	**3. (2*4.40)**	**4.**	**5. (4-3)**	**6.**
1. P/L CC 1:3:6	9m3	9x4.4=39.60	72 Bags	32.40 Bags	443
2. Work: Pucca path Dabata to Thara Head MGREGA MB No. 29984 Page -33					
1. P/L CC 1:3:6	9.9m3	9.9x4.40 = 43.56	72 Bags	28.44 Bags	443
3.Work :Pakka Path with Grill work Ashram to Nala Head 15th FC MB No.29884 Page 54-55					
3. P/L CC 1:3:6	8.278m3	8.278x4.40=36.42	58 Bags	21.58 Bags	490
	TOTAL	**119.58 or 120**	**202**	**82.42 0r 82 bags**	**443/490**
Remraks: 1.In Above Sr. No 3 Work Qty as per MB was executed 9.098m3 but due to wrong calculation as in para no.9.4 0.82m3 has been deducted and Consumption of cement has calculated on net quantity.					

(ख) निर्माण कार्यों के दौरान शेष रेत मात्रा 5.83m3 (राशि ₹28752) का सम्भावित दुरूपयोग।

1.Work: Pucca path Banni ram house to Dhani ram House Head MGREGA MB No.29984 Page - 29					
Item no. & Nomenclature	**Executed Qty.**	**Sand Consumed**	**Sand Purchase**	**Material Balance**	**Rate per Cubic mtr**
1.	**2.**	**3. (2*0.47)**	**4.**	**5. (4-3)**	**6.**
1. P/L CC 1:3:6	3.9m3	3.9x0.47= 1.83m3	5.42m3	3.59m3	5200
2.Work :Pakka Path with Grill work Ashram to Nala Head 15th FC MB No.29884 Page 54-55					

3. P/L CC 1:3:6	8.278m3	8.278x0.47=3.89m3	6.13m3	2.24m3	4500
	TOTAL	**5.72m3**	**11.55m3**	**5.83m3**	**5200/4500**
Remraks: In Above Sr. No 2 Work Qty as per MB was executed 9.098m3 but due to wrong calculation as in para no.9.5 0.82m3 has been deducted and Consumption of Sand has calculated on net quantity.					

(ग) निर्माण कार्यों के दौरान शेष बजरी 4m3 (राशि ₹17600) का सम्भावित दुरूपयोग

1.Work: Pakka Path with Grill work Ashram to Nala Head 15th FC MB No.29884 Page 54-55					
Item no. & Nomenclature	**Executed Qty.**	**Agg. Consumed**	**Agg. Purchase**	**Material Balance**	**Rate per Cubic mtr**
1.	**2.**	**3. (2*0.89)**	**4.**	**5. (4-3)**	**6.**
1. P/L CC 1:3:6	8.278m3	8.278x0.89= 7.36m3	11.36m3	4m3	4400
	TOTAL	**7.36m3**	**11.36m3**	**4m3**	**4400**
Remarks: In Above Work No Size of CC shown in MB So Consumption factor 0.89 for Agg. taken on CC 1:3:6 **40mm.**					

(घ) निर्माण कार्यों के दौरान शेष बचे पत्थर 12.71 m3 (राशि ₹26691) का सम्भावित दुरूपयोग।

1.Work:Sadak Nirmaan Suresh House to Banni Panihar Head 15th FC MB No.29884 Page 13-14					
Item no. & Nomenclature	**Executed Qty.**	**Stone Consumed**	**Stone Collection & Purchase**	**Material Balance**	**Rate per Cubic mtr**
1.	**2.**	**3. (2*1.16)**	**4.**	**5. (4-3)**	**6.**
2.Dry Rubble Masonary	46.05m3	46.05x1.16=53.41m	66.12m3	12.71m3	2100
	TOTAL	**53.41m3**	**66.12m3**	**12.71m3**	**2100**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 29-08-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि, निर्माण कार्यों के दौरान शेष बची सामग्रियों की पंचायत स्तर पर छानबीन उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को सूचित कर दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है चूँकि पंचायत द्वारा स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया जा रहा है जिससे क्रय स्टोर/स्टॉक किसे, कब, कितना और किस कार्य विशेष हेतु जारी किया इसका पता नहीं लगाया जा सका इसके अतिरिक्त मापन पुस्तिका में खपत विवरण तैयार न करना, इसे सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करवाना न केवल नियमों की स्पष्ट अवहेलना हैं अपितु इससे सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अत: उक्त प्रकरण में शेष बची सामग्री के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण ठोस तथ्यों व अभिलेखों के आधार पर न्यायोचित ठहराते हुए शीघ्र ही अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ प्रेषित करें अन्यथा उक्त सामग्री की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित कर्मचारियों से नियमानुसार करके शीघ्र ही खातों में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये एवं अन्य ऐसे मामलों की विभागीय स्तर पर छानबीन उपरान्त अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.4 निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं में गलत गणना व अन्य अनियमितताओं के कारण राशि ₹2967 का अधिक भुगतान बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **चैप्टर-9 नियम 76** के अनुसार सम्बन्ध पंचायत का सचिव यदि कोई पंचायत निधि से किये गए अति संदाय/अधिक भुगतान, चाहे सदभाव से किया गया है, की तत्पर वसूली करने का जिम्मेदार होगा।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण दौरान तकनीकी सहायक द्वारा करवाए गए कार्यों की माप पुस्तिका में निम्नविवरणानुसार (व **परिशिष्ट "8")** गलत गणना व अन्य विविध अनियमितताओं के दृष्टिगत राशि ₹2967 का अधिक भुगतान किया गया।

Work Item No.	Calculation As per MB in cubic mtr.	Calculation as per Audit in cubic mtr.	Difference	Excess qty. & Rate
1.	2.	3.	4. (2-3)	5.
A.Work : Pakka Path with Grill work Ashram to Nala Head 15th FC MB No.29884 Page 54-55				
3.P/L CC 1:3:6	13x1.40x0.075 =2.18	13x1.40x0.075 = 1.36	0.82m3	0.82@432.90
A. Total Amount			Qty.*rate	₹354.97
B. Less Contractor profit 15% (354.97x15/100 i.e 53.24) 354.97-53.24				₹301.73
C. Add Labour Enhancement 368.75% on 301.73 i.e 1112.62				₹1112.62
Total amount Overpaid due to wrong calculation (B+C)				**₹1414.35**
B.Work : Sadak Nirmaan Rehla Mod to Panihar Head 15th FC MB No.29984 Page 58-59				
Work Item & Nomni.	Qty. Executed as per MB But for this CC no corresponding entry of Stone Soiling and Ground Dressing Found/recorded in MB			Qty. & Rate
1.	2.			3.
3.P/L CC 1:3:6	1x10x1.20x0.075 = 0.90			0.90*432.95
A. Total Amount Qty.*rate				₹389.65
B. Less Contractor profit 15% (389x1.65x15/100 i.e 58.44) 389.65-58.44				₹331.21
C. Add Labour Enhancement 368.75% on 331.21 i.e 1221.33				₹1221.33
Total Amount Overpaid (B+C)				**₹1552.54**
	Total Amount Overpaid (A+B)			**₹2966.89**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 30-05-2024 के प्रत्युत्तर में तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि अधिक व्यय राशि की प्रतिपूर्ति करके सम्बन्धित खाते में जमा करवा दी जाएगी। अत: उक्त मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर उक्त राशि की वसूली करके शीघ्र खाते में जमा करवा दी जाये एवं इस प्रकार के अन्य मामलों की पंचायत स्तर पर गहनता से जाँच की जानी सुनिश्चित की जाये अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

9.5 बिना सामग्री (बजरी 30.57m3) की उपलब्धता के कार्यों का निष्पादन करना।

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार (व **परिशिष्ट "8")** सीमेंट कंक्रीट कार्य निष्पादित किये गए लेकिन इन कार्यों हेतु आवश्यक सामग्री घटक बजरी 30.57m3 जोकि कार्यों के निष्पादन में अन्य घटकों यथा सीमेंट व रेत के साथ प्रयुक्त होना जरुरी था एवं यह माप पुस्तिका में भी दर्शाया गया है लेकिन आगे अवलोकन में यह पाया गया कि उक्त बजरी की उक्त मात्रा का न तो किसी आपूर्तिकर्ता से क्रय किया गया हैं और न ही मस्ट्रोल में कार्यरत लेबर द्वारा इसकी कलेक्शन दर्शाई गई है जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है।

<table>
<tr><td colspan="5">1.Work: Pucca path Banni house to Dhani House Head MGREGA MB No.29984 Page - 29</td></tr>
<tr><td>Item No. & Nomenclature</td><td>Executed Qty.</td><td>Agg. Cons.(m3)</td><td>Agg. Purchase & Collected (m3)</td><td>Remrks</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>2.</td><td>3.(2*0.89)</td><td>4.</td><td>5.</td></tr>
<tr><td>1. P/L CC 1:3:6</td><td>3.9m3</td><td>3.47m3</td><td>0.00</td><td>No purchase & Labour Coolection</td></tr>
<tr><td colspan="5">2. Work: Pucca path Shiv Mandir to Kadini Head MGREGA MB No.29984 Page - 30</td></tr>
<tr><td>1. P/L CC 1:3:6</td><td>9m3</td><td>8.01m3</td><td>0.00</td><td>No purchase & Labour Coolection</td></tr>
<tr><td colspan="5">3. Work: Pucca path Dabata to Thara Head MGREGA MB No. 29984 Page -33</td></tr>
<tr><td>1. P/L CC 1:3:6</td><td>9.9m3</td><td>8.81m3</td><td>0.00</td><td>No purchase & Labour Coolection</td></tr>
<tr><td colspan="5">4.Work: Pucca path Tripta house to Jeevan House Head MGREGA MB No. 29984 P-24,25</td></tr>
<tr><td>1. P/L CC 1:3:6</td><td>11.55m3</td><td>10.27m3</td><td>0.00</td><td>No purchase & Labour Coolection</td></tr>
<tr><td colspan="5">Remarks: In above works for CC no size were given in MB So for Consumption of Mix agg. Factor taken as 0.89 as P/L CC 1:3:6 40mm size.</td></tr>
</table>

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 29-08-2024 द्वारा उक्त गम्भीर प्रकरण पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त

कहा कि, मामले की पंचायत स्तर पर जांच उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण विभाग को सूचित कर दिया जायेगा।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि किसी भी कंक्रीट कार्य का निष्पादन बिना बजरी के सम्भव नहीं है। अतः उक्त कार्यों की गुणवता एवं वास्तविकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह मामला उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर लाया जाता है। अतः उक्त मामले में अपना पक्ष ठोस तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराते हुए अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र प्रेषित करें अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई (व्यय की प्रतिपूर्ति) अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.6 पंचायत की माप पुस्तिकाओं के रख-रखाव में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-11 के नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत के तकनीकी स्तर पर करवाए गए निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि यह उक्त नियमानुसार कनिष्ठ अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं की गई थी इसके अतिरिक्त माप पुस्तिका में तकनीकी सहायक द्वारा संधारित माप पुस्तिकाओं में ओवरराइटिंग, कटिंग की गई थी जिससे कि अभिलेख की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी तथा सामग्री खपत विवरण तैयार नहीं किया गया था जोकि न केवल अनुचित हैं अपितु इसके अभाव में यह ज्ञात करना जटिल हो जाता है कि वास्तव में कितनी सामग्री किसी कार्य विशेष हेतु क्रय की गई कितनी उपभोग की तथा कितनी शेष बची ?

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 29-08-2024 के प्रत्युत्तर में कहा गया कि भविष्य में उक्त अनियमितताओं की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं हैं उक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.7 बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के राशि ₹6.54 लाख के स्टोर/स्टॉक का अनियमित भुगतान:-

ग्राम पंचायत गरोला के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "7"** के अनुसार राशि **₹**654825 का भुगतान विभिन्न सामग्रियों के क्रय की एवज में किया गया परन्तु इन बिलों के अवलोकन में पाया गया यह बिल प्रॉपर/टैक्स बिल न होकर अभिस्वीकृति सहित सादे कागज पर रसीद मात्र, कैश मैमो तथा परफोर्मा बिल हैं इसके अतिरिक्त अधिकतर बिलों पर वेन्डर/आपूर्तिकर्ता का विवरण, GST/TIN संख्या, बिल क्रमांक इत्यादि अंकित नहीं है एवं बिलों पर दिनांक भी हस्तलिखित है एवं बिल संख्या पंचायत द्वारा बिलों पर

स्वयं आबंटित की गई है। जिससे कि इनकी सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी इस प्रकार के बिलों की कुच्छ चयनित माहों के प्रतिलिपियाँ इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर संलग्न हैं।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 06 दिनांक 28-08-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कहा कि, अधिकतर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा इस प्रकार के बिलों पर दावे किये गए हैं जिनका समय-समय पर पंचायत द्वारा भुगतान किया गया है भविष्य में प्रॉपर टैक्स बिलों एवं मान्य GST धारकों से ही क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। उक्त अनियमितताओं एवं प्रस्तुत उत्तर के आधार पर उक्त व्यय संदिग्ध व अनियमित प्रतीत होता है। अतः इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए उक्त किये गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.8 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही राशि ₹4.57 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान हेतु ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना जरुरी है।

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत प्रधान द्वारा एकल हस्ताक्षर से ही (संलग्न **परिशिष्ट "5"**) राशि ₹456948/- भुगतान किये गए थे जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु यह संदिग्ध भी प्रतीत होता है जिसके अंतर्गत राशि के दुर्विनियोजन की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है एवं न ही किये गए भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 28-08-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव ने कहा कि, भविष्य में नियमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर उपरान्त ही बिलों का भुगतान किया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः नियमाविरुद्ध किये गए भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.9 राशि ₹2.42 लाख के क्रय स्टोर/स्टॉक को स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न करना एवं पंचायत के स्टॉक रजिस्टर के रख-रखाव में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार** सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,उसका

यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा एवं नियम 70 से 72 में वर्णित विभिन्न नियमों की अनुपालना आवश्यक है।

ग्राम पंचायत द्वारा अन्य अनुदानों हेतु संधारित स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "5"** के अनुसार राशि ₹242420 के स्टोर/स्टॉक को स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया था आगे अवलोकन में यह पाया गया कि, पंचायत द्वारा स्टॉक रजिस्टर, स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया था जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना हैं अपितु इससे क्रय स्टोर/स्टॉक की दुर्विनियोजन की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 28-08-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि स्टोर/स्टॉक के भंडारण रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है इस सम्बन्ध में भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चूँकि यह न केवल नियमाविरुद्ध है अपितु स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव न किये जाने के दृष्टिगत से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अत: नियमाविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.10 मनरेगा मटेरियल व वर्क रजिस्टर के संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन मटेरियल रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्षो 2022-2023 एवं 2023-2024 के दौरान कुल ₹511962 का स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था परन्तु उक्त ऑनलाइन रजिस्टर में क्रय स्टोर/स्टॉक को तकनीकी सहायक द्वारा न तो सत्यापित किया गया था और न ही इसके अथशेष, अन्तशेष तथा स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि का विवरण भरा गया है। इसके अतिरिक्त मनरेगा ऑनलाइन वर्क रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि इसमें कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि को नहीं भरा जा रहा है जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्टोर/स्टॉक के दुर्विनियोजन व कार्य में किसी प्रकार के अनाधिकृत समायोजन प्रविष्टि की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 28-08-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि, इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह एक गम्भीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है। अत: नियमाविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.11 मनरेगा के अंतर्गत किये भुगतानों के Fund Transfer Orders को प्रस्तुत न करना :-

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्ही को भुगतान किया गया है ।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 06 दिनांक 28-08-2024 को सचिव को उक्त FTOs को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है अत: FTOs का पंचायत में न पाया जाना, को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.12 राशि ₹3.75 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी। पंचायत गरोला के चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार कुल राशि ₹374629/- का व्यय किया गया। जिसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई :-

1. मस्ट्रोल पर सतर्कता व निर्माण समिति के हस्ताक्षर न करवाना।
2. प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना भुगतान करना।
3. मस्ट्रोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान द्वारा सत्यापित न करना।
4. मस्ट्रोल में अन्य विवरण जैसे: प्रस्ताव संख्या, दिनांक ,कार्य का नाम , कार्य शुरू करने एवं समाप्ति की तिथि इत्यादि का विवरण अपूर्ण पाया जाना।

क्र०स०/ अनुदान	निर्माण कार्य	मस्ट्रोल संख्या	वाउचर/ दिनांक	राशि
1.15th FC	कार्य: सडक निर्माण सुरेश के घर से बणी पनिहार तक	54473	07/ 19-07-2022	124470

2.15th FC	कार्य: पक्की गली विध ग्रिल आश्रम से नाला	33904/ 54492	25 & 26/ 27-12-2023	94992
3.15THFC	कार्य : सडक निर्माण राहला मोड़ से पनिहार	54488/ 54495	31 & 32/ 27-12-2023	55027
4. 15th FC	कार्य :पनिहार निर्माण द्रोवी गुवाड़	54494/ 33903	33-34/ 29-12-2022	100140
			कुल योग	**₹374629**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08 दिनांक 28-08-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत करवा दिया जायेगा। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत गरोला के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा समस्त अनुदानों व स्व-स्त्रोतों की रोकड़ बहियों का संधारण ऑनलाइन व मैन्युअल दोनों माध्यम से किया जा रहा है जबकि विभाग के दिशा-निर्देशों अनुसार रोकड़ बहियों का संधारण e-ग्राम स्वराज में ही किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत द्वारा केवल 15वें वित्तायोग की ऑनलाइन रोकड़ बही को ही सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया गया अनु अनुदानों की केवल मैनुयल संधारित रोकड़ बहियों को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। अंकेक्षण में प्रस्तुत मैन्युअल संधारित रोकड़ बहियों का रख-रखाव उचित तरीके से नहीं किया गया था इसमें कटिंग, ओवरराइटिंग के साथ-साथ न तो अथशेष व अन्तशेष लिए गए हैं और न ही इसमें दर्ज/प्रविष्ट Transctions के प्रगतिशील योग किये गए हैं जोकि न केवल लेखांकन नियमों के विरुद्ध हैं अपितु इससे पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट 1 व 2** में लिए अथशेषों व अंतशेषों को सत्यापित किया जा सका। ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत

द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-06 दिनांक 28-08-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, 15वें वित्तायोग के अतिरिक्त अन्य रोकड़ बहियों का संधारण मेनुअल माध्यम से किया जा रहा है एवं ऑनलाइन संधारित रोकड़ बहियाँ अपूर्ण होने के कारण वह लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी मेनुअल संधारित रोकड़ बहियों में अंतशेष, अथशेष व प्रगतिशील योग नहीं किया गए हैं एवं परिशिष्टों में दर्शाए गये अथशेष व अन्तशेष पंचायत की परीक्षा संतुलन सूची व बैंक पासबुक से लिया गए हैं। अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत गरोला के चयनित माहों के अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि, पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 29-08-2024 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वितीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों जैसे MPLAD,LADF, व 3rd/5th स्टेट का एक बैंक खाता एवं एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 29-08-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
10.	बिल रजिस्टर	13	48	संधारित नहीं
11.	ग्राम पंचायत का स्टॉक/सामग्री रजिस्टर	01 व 06	34	संधारित नहीं
12.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 29-08-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में विहित रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा। अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11 **भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत गरोला की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 29-08-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13 **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की संभावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

(कृष्ण लाल नेगी) 22.X.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

22 OCT 2024

22 OCT 2024 का0/61 4754–4758

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 39/2019 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत गरोला, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

22 OCT 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 22.X.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का0/61

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of GP Garola for the Year 2022-2023 To 2023-2024

1. Own Source (MPLAD, LADF, 3rd/5th SFC)

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1031249.00	684439.00	1715688.00	1229083.00	486605.00
2023-24	486605.00	1010738.00	1497343.00	969585.00	527758.00

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	4242070.00	4324216.00	8566286.00	3316379.00	5249907.00
2023-24	5249907.00	7207960.00	12457867.00	5900598.80	6557268.20
					7085026.20

नोट: प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत गरोला, विकास खंड भरमौर में उपरोक्त निधियों के अंतर्गत पांच रोकड़ बहियाँ का संधारण किया जा रहा है।

1+2 (527758+6557268.20)

Closing Balance as per Cash Books		7085026.20
Closing Balance as per Bank Passbook		6866269.20
Difference	(Less in Bank Pass Book)	218757.00

सचिव
ग्राम पंचायत गरोला
विकास खण्ड भरमौर

परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित							
Financial Position Grants in Aids of GP Garola for the Year to 2022-2023 To 2023-2024							
Sr.No	**Particulars**	**Year**	**Opening**	**Receipt**	**Total**	**Expenditure**	**Closing**
1	MGNREGA	2022-23	0.00	2239192.00	2239192.00	2239192.00	0.00
		2023-24	0.00	4121754.00	4121754.00	4121754.00	0.00
2	15TH FC	2022-23	4140462.00	2081235.00	6221697.00	1057571.00	5164126.00
		2023-24	5164126.00	333853.00	5497979.00	1157348.00	4340631.00
3	14th FC	2022-23	101608.00	3789.00	105397.00	19616.00	85781.00
		2023-24	85781.00	709.00	86490.00	86416.00	74.00
4	PMAAY(G)	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-24	0.00	2431750.00	2431750.00	217603.80	2214146.20
5	PMKSY/WDC	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-24	0.00	319894.00	319894.00	317477.00	2417.00
			4242070.00	4324216.00	8566286.00	3316379.00	5249907.00
			5249907.00	7207960.00	12457867.00	5900598.80	6557268.20

सचिव
ग्राम पंचायत गरोला
विकास खण्ड भरमौर

परिशिष्ट– "3"

ग्राम पंचायत गरोला, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना (पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित)

Sr.No.Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier	Amount	Remarks
1.15th FC	15,20,24, 27,30/ 27-12-23	Carrige of Cement GR	-	M/S Ajay Kumar PO Bassu, Dharamsala	21300	**Quotations**
2.15th FC	16-18/ 27-12-23	Shuttring, Agg, sand, Stone, Carrige etc.	-	M/S Thakur Hardware, PO Garola, Bharmour	117728	**Tender**
3.15TH FC	28/ 27-12-23	Bricks	1500Nos @12	M/S Mahakaal Hardware Store, Garola	18000	**Quotations**
4.15TH FC	37/ 29-12-23	Angle, Chadar etc.	-	M/S Vashisht Welding Works VPO Garola	15450	**Quotations**
5.LADA	18/ 28-07-22	Interlock Tiles	3000@ 21.90	M/S Swaroopa Nand & Sons, Bharmour	69000	**Tender**
6.LADF/ SF	19 & 20/ 28-07-22	Shuttring, Bricks , Carrige	-	M/S Swaroopa Nand & Sons, Bharmour	75500	**Tender**
7.15TH FC	08/19- 07-2022	Stone	5.44@ 2500	M/S Swaroopa Nand & Sons, Bharmour	13600	**Quotations**
8.15th FC	16-18/ 27-12- 2023	Sand, Agg & Stone	5.40@5200 7.62@5400 3.00@2500	M/S Thakur Hardware, PO Garola, Bharmour	76728	**Tender**
9.LADF	20/ 13-12-23	Sand, & Agg	5.50@5200 4.43@4750	M/S Thakur Hardware, PO Garola, Bharmour	49642	**Quotations**
				Total	**456948**	

सचिव
ग्राम पंचायत गरोला
विकास खण्ड भरमौर

8.3

परिशिष्ट "4" पैरा संख्या 8.2 में सन्दर्भित

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP GAROLA FROM WHICH PURCHASE WITHOUT "X,W" FORM & NEITHER ROYALITY DEDUCTED & PROBABALE LOSS OF GST 01-04-2022 TO 31-03-2024

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT TO BE PAID	GST PAID ON BILL
1	M/S Sharma Traders	15th FC	02/	Stone	35.12	78.67	73752	80	6293.50	70240.00	3512.00
	PO Garola, Bharmour		10-06-2022						0.00	0.00	0.00
2	M/S Swaroopa Nand	15th FC	08/	Stone	5.44	12.19	13600	80	974.85	12952.38	647.62
	PO Garola, Bharmour		19-07-2022					80	0.00	0.00	0.00
3	M/S Swaroopa Nand	15th FC	24 & 27	Sand	10.42	16.67	46890	80	1333.76	44657.14	2232.86
	PO Garola, Bharmour		04-01-2023					80	0.00	0.00	0.00
4	M/S Thakur Hardware	15th FC	25,29 & 35	Aggre.	9.77	18.95	41973	80	1516.30	39974.29	1998.71
	VPO Garola, Bharmour		04-01-2023	Stone	19.55	43.79	39480	80	3503.36	37600.00	1880.00
5	Sh. Ajay Kumar	15th FC	40/	Stone	25.00	56.00	62500	80	4480.00	59523.81	2976.19
	PO Garola, Bharmour,		14-01-2023					80	0.00	0.00	0.00
7	M/S Thakur Hardware	15th FC	16-18/	Sand	5.40	8.64	28080	80	691.20	26742.86	1337.14
	VPO Garola, Bharmour		27-12-2023	Aggre.	7.62	14.78	41148	80	1182.62	39188.57	1959.43
				Stone	3.00	6.72	7500	80	537.60	7142.86	357.14
8	Sh. Mohit Kumar	15th FC	19/27-12-23	Aggre.	9.77	18.95	48850	80	1516.30	46523.81	2326.19
9	Sh. Subash Kumar	15th FC	21/27-12-23	Sand	4.88	7.81	25376	80	624.64	24167.62	1208.38
10	Sh. Satpal s/o Sh. Jodha	15th FC	22/	Sand	6.13	9.81	27584	80	784.64	26270.48	1313.52
	PO Badgran, Bharmour		27-12-2023	Aggre.	11.36	22.04	45503	80	1763.07	43336.19	2166.81
11	Sh. Dev Raj, Garola	15th FC	29/	Stone	4.44	9.95	6610	80	795.65	6295.24	314.76
	PO Garola,Bharmour		27-12-2023	Sand	2.00	3.20	5000	80	256.00	4761.90	238.10
				Aggre.	2.00	3.88	8000	80	310.40	7619.05	380.95
12	Sh. Rajesh Kumar	15th FC	38 & 39/	Sand	5.07	8.11	22842	80	648.96	21754.29	1087.71
	PO Garola, Holi		29-12-2023	Aggre.	10.15	19.69	44660	80	1575.28	42533.33	2126.67
13	Sh. Pawan Kumar	LADF	01/	Aggre.	1.80	3.49	12600	80	279.36	12000.00	600.00
	PO Garola, Bharmour		29-04-2022	Sand	4.00	6.40	14000	80	512.00	13333.33	666.67
14	M/S Sharma Traders	LADF	02/29-04-22	Stone	15.00	33.60	31500	80	2688.00	30000.00	1500.00
15	M/S Swaroopa Nand	LADF	19/28-07-22	Stone	10.00	22.40	22000	80	1792.00	20952.38	1047.62
16	M/S Thakur Hardware	LADF	25/	Sand	5.00	8.00	48000	80	640.00	45714.29	2285.71
	VPO Garola, Bharmour		31-10-2022	Aggre.	1.60	3.10	6080	80	248.32	5790.48	289.52
17	M/S Swaroopa Nand	LADF	34/	Aggre.	6.47	12.55	24000	80	1004.14	22857.14	1142.86
	PO Garola, Bharmour		06-02-2023	Stone	10.52	23.56	50496	80	1885.18	48091.43	2404.57
18	M/S Sharma Traders	LADF	35/06-02-23	Stone	24.60	55.10	51674	80	4408.32	49213.33	2460.67
19	M/S Swaroopa Nand	LADF	05/	Sand	7.00	11.20	33600	80	896.00	32000.00	1600.00
	PO Garola, Bharmour		27-04-2023	Aggre.	12.00	23.28	45600	80	1862.40	43428.57	2171.43
20	M/S Thakur Hardware	LADF	20/	Sand	5.50	8.80	28600	80	704.00	27238.10	1361.90
	VPO Garola, Bharmour		13-12-2023	Aggre.	4.43	8.55	21042	80	683.99	20040.00	1002.00
21	Sh. Ranjeet Singh	MPLAD	25&26/	Sand	7.45	11.92	35760	80	953.60	34057.14	1702.86
	VPO Garola, Bharmour		02-02-2024	Aggre.	8.77	17.01	42973	80	1361.10	40926.67	2046.33
22	M/S Mamta Devi	MGREGA	07/	Sand	11.00	17.6	29150	80	1408.00	27761.90	1388.10
	VPO Garola, Bharmour		22-05-2022	Aggre.	11.00	21.34	29150	80	1707.20	27761.90	1388.10
23	Sh. Ajay Kumar	MGREGA	Nil/	Sand	30.89	49.42	160628	80	3953.92	152979.05	7648.95
	VPO Garola, Bharmour		27-06-2023								
						TOTAL	1276201		55775.69	1215429.52	60771.48

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal
   Rate of Royalty is taken Rs60/80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining
   Conversion Factor
2. **A. From Square Feet to Cubic Meter M3**
   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M^3) Common to all items Sand, Stone & Aggregate
3. **B. From Cubic Meter (M^3) to Tonne**
   One Cubic Meter (M^3) Sand **1.60**
   One Cubic Meter (M^3) Aggregate Mix **1.94**
   One Cubic Meter (M^3) Aggregate **1.46**
   One Cubic Meter (M^3) Stone **2.24**
4. All items Sand, Stone & Aggre. **average weight** are taken for conversion while cubic meter to tonne.
5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or no

सचिव
ग्राम पंचायत गरोला
विकास खण्ड भरमौर

<u>परिशिष्ट– "5"</u>

ग्राम पंचायत गरोला, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश संयुक्त हस्ताक्षर के बिना अनियमित भुगतान करने एवं स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न होने बारे (पैरा संख्या 9.2 में व ३.१ में संदर्भित)

Sr.No. Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier	Amount	Remarks
1.15th FC	15,20,24, 27,30/ 27-12-23	Carrige of Cement GR	-	M/S Ajay Kumar PO Bassu, Dharamsala	21300	**Joint Sign.**
2.15th FC	16-18/ 27-12-23	Shuttring, Agg, sand, Stone, Carrige etc.	-	M/S Thakur Hardware, PO Garola, Bharmour	117728	**Joint Sign.**
3.LADF/ SF	19 & 20/ 28-07-22	Shuttring, Bricks , Carrige	-	M/S Swaroopa Nand & Sons, Bharmour	75500	**Joint Sign.**
4.15TH FC	08/19-07-2022	Stone	5.44@ 2500	M/S Swaroopa Nand & Sons, Bharmour	13600	**Joint Sign & Stock Entry**
5.15th FC	16-18/ 27-12-2023	Sand, Agg & Stone	5.40@5200 7.62@5400 3.00@2500	M/S Thakur Hardware, PO Garola, Bharmour	76728	**Joint Sign & Stock Entry**
6.LADF	20/ 13-12-23	Sand, & Agg	5.50@5200 4.43@4750	M/S Thakur Hardware, PO Garola, Bharmour	49642	**Joint Sign & Stock Entry**
7.15TH FC	28/ 27-12-23	Bricks	1500Nos @12	M/S Mahakaal Hardware Store, Garola	18000	**Joint Sign & Stock Entry**
8.15TH FC	37/ 29-12-23	Angle, Chadar etc.	-	M/S Vashisht Welding Works VPO Garola	15450	**Joint Sign & Stock Entry**
9.LADA	18/ 28-07-22	Interlock Tiles	3000@ 21.90	M/S Swaroopa Nand & Sons, Bharmour	69000	**Joint Sign & Stock Entry**
				Total	**456948**	

सचिव
ग्राम पंचायत गरोला
विकास खण्ड भरमौर

परिशिष्ट "6" पैरा संख्या 8.4 में सन्दर्भित

Statement Showing Detail of Payment TDS Not Deducted in r/o Gram Panchayat Garola, Chamba H.P.

SR. NO	VOUCHER NO./DATE	NAME OF FUND	PARTICULAR/ DETAIL OF PARTY	DISCRIPTION OF ITEM	AMOUNT	TDS @2 %	Remarks
1	34/06-02-2023	LADF	M/S Swaroop Nand & Sons Bharmour, Chamba	GR. Carrige of Sand & Agg.	74496.00	1489.92	IT Act Section 194C
2	Nil/27-06-2023	MGREGA	Sh. Ajay Kumar VPO Garola, Bharmour	Cement & Sand Carrige	88622.00	1772.44	IT Act Section 194C
				Total	163118.00	3262.36	

सचिव
ग्राम पंचायत गरोला
विकास खण्ड भरमौर

Annexure "7" Payment made without Proper/Tax Bill in R/o GP Garola, Chamba

पैरा संख्या 9.7 में संदर्भित

SR. NO.	**NAME OF VENDER/ SUPPLIER**	**GRANTS/ HEAD**	**VOUCHER/ DATE**	**NAME OF MATERIAL**	**QTY. M3**	**Rate**	**AMOUNT PAID**	**Remarks**
1	M/S Swaroopa Nand	15th FC	08/19-07-2022	Stone	5.44	2500	13600	**Performa Bill**
2	M/S Thakur Hardware	15th FC	16-18/	Sand	5.40	5200	28080	**Do**
	VPO Garola, Bharmour		27-12-2023	Aggre.	7.62	5400	41148	**do**
				Stone	3.00	2500	7500	**do**
3	Sh. Mohit Kumar	15th FC	19/27-12-23	Aggre.	9.77	5000	48850	**Plain paper**
4	Sh. Subash Kumar	15th FC	21/27-12-23	Sand	4.88	5200	25376	**do**
5	Sh. Satpal s/o Sh. Jodha	15th FC	22/	Sand	6.13	4499.8	27584	**do**
	PO Badgran, Bharmour		27-12-2023	Aggre.	11.36	4005.5	45503	**do**
6	Sh. Dev Raj, Garola	15th FC	29/	Stone	4.44	1488.7	6610	**do**
	PO Garola,Bharmour		27-12-2023	Sand	2.00	2500	5000	**do**
				Aggre.	2.00	4000	8000	**do**
7	Sh. Rajesh Kumar	15th FC	38 & 39/	Sand	5.07	4505.3	22842	**do**
	PO Garola, Holi		29-12-2023	Aggre.	10.15	4400	44660	**do**
8	M/S Thakur Hardware	LADF	20/	Sand	5.50	5200	28600	**Performa Bill**
	VPO Garola, Bharmour		13-12-2023	Aggre.	4.43	4749.9	21042	**do**
9	Sh. Rajesh Kumar	15th FC	38 & 39/	Sand	5.07	4505.3	22842	**Plain paper**
	PO Garola, Holi		29-12-2023	Aggre.	10.15	4400	44660	**do**
10	M/S Swaroopa Nand	15th FC	08/	CGI Sheet	8 Pcs	2050	16400	**Performa Bill**
	Bharmour, Chamba		19-07-2022	Stone	5.44	2500	13600	**do**
~~12~~ 11	M/S Swaroopa Nand	LADF	18/	Interlock	3000	21.9	65700	**do**
	Bharmour, Chamba		28-07-2022	Tiles				**do**
~~13~~ 12	M/S Thakur Hardware	15th FC	Nil/	Shuttring			117228	**do**
	VPO Garola, Bharmour		27-12-2023	Carrige				
						TOTAL	**654825**	

सचिव
ग्राम पंचायत गरोला
विकास खण्ड भरमौर

परिशिष्ट "8" पैरा संख्या 9.3, 9.4 व 9.5 में संदर्भित

1. Name of Work : Sadak Nirmaan Suresh House to Banni Panihaar Head 15th FC MB No.29984 Page 13,14						
Item No. & Nomenclature	**Quantitity As per MB**		**Quantity Purchased**	**Quantity not used or in MB**		
	Qty.	Stone Consumed		Stone	Labour	Total
2. Dry Rubble Masonary	46.05	53.42		35.12	31.00	66.12
		Balance Stone available (66.12-53.42)		12.70m3*2100 = 26670		
4. Carrige of stone 10m3@1179.8		No lead shown in MB and not verified by JE				

2. Name of Work : Pucca path Banni to Dhani ram house Head MGREGA MB No. 29984 Page 29 M.R. 4438				
		Cement	**Sand**	**Agg**
1. P/L CC 1:3:6	3.9	17.16	1.83	3.47
Total material Consumed		17.16	1.83	3.47
Material Purchesed & Collected		17	5.42	0
Balance Quantity		-0.16	3.59	-3.47
Rate			**5200**	
			18652.4	

3. Name of Work : Pucca path Shiv Mandir to Kadini Head MGREGA MB No. 29984 Page 30 M.R. 4393,4394				
		Cement	**Sand**	**Agg**
1. P/L CC 1:3:6	9	39.60	4.23	8.01
Total material Consumed		39.60	4.23	8.01
Material Purchesed & Collected		72	4.23	0
Balance Quantity		32.40	0.00	-8.01
Rate		**443**		
		14353.2	0	

4. Name of Work : Pucca path Tripta house to Jeevan House Head MGREGA MB No. 29984 Page 24,25 M.R.3902,3				
		Cement	**Sand**	**Agg**
1. P/L CC 1:3:6	11.55	50.82	5.43	10.28
Total material Consumed		50.82	5.43	10.28
Material Purchesed & Collected		51	5.42	0
Balance Quantity		0.18	-0.01	-10.28
Rate				

5. Name of Work : Pucca path Dabata to Thara Head MGREGA MB No. 29984 Page 33 M.R.4917-4920				
		Cement	**Sand**	**Agg**
1. P/L CC 1:3:6	9.9	43.56	4.65	8.81
Total material Consumed		43.56	4.65	8.81
Material Purchesed & Collected		72	4.95	0
Balance Quantity		28.44	0.30	-8.81
Rate		**443**		
		12598.92		

सचिव
ग्राम पंचायत गरोला
विकास खण्ड भरमौर

परिशिष्ट "8"

Item No. & Nomni.	Calculation As per MB	Calculation as per Audit	Difference (2-3)	Excess Qty. & Rate
1	2	3	4	5
A.Work : Pucca Path with Grill Work Ashram to Nala Head 15TH FC MB No. 29884 Page 54-55				
3.P/L CC 1:3:6	13x1.4x0.075=2.18	13x1.4x0.075= 1.365	0.82m3	0.82@432.9
		A.Total Amount	Qty*rate	355.01
B.Less Contractor profit 15 % (355.01x15/100 i.e 53.25) 355.01-53.25				301.76
C.Add Labour Enhancemnet 368.75% on 301.76 ie 1112.74				1112.74
Total Amount Overpaid Due to wrong Calcultaion (B+C)				**₹ 1,414.50**

Material Consumption Statement for above Work

Item No. & Nomn	Quantity Executed as per MB	Qunitity Executed as per Audit	Con.of Cement	Sand	Agg.
3.P/L CC 1:3:6	9.098	8.278	36.42	3.89	7.37
Total material Consumed			36.42	3.89	7.37
Material Purchesed & Collected			58	6.13	11.36
Balance Quantity (Material Unutilised)			21.58	2.24	3.99
	Rate of material per unit		490	4500	4400
	Amount of Material Unutilised		**10572.63**	**10077.03**	**17567**

Remrks MB Was not verified by JE as well no Materail consumption has shown in MB

B.Name of Work : Sadak Nirmaan Rhala Mod to Panihar Head 15th FC MB No. 29984 Page 58-59

Item no. & Nomni **CC Executed**

3. P/L CC 1:3:6 1x10x1.20x0.075 = 0.90 CC Executed but no Corresponding entry of Stone Soiling and Ground Dressing found/Recorded in MB

3.P/L CC 1:3:6	1x10x1.20x0.075 = 0.90	0.90	0.90@ 432.95	
	A.Total Amount	Qty*rate	389.65	389.65
B.Less Contractor profit 15 % (389.65x15/100 i.e 58.44) 389.65-58.44				331.21
C.Add Labour Enhancemnet 368.75% on 331.21 ie 1221.33				1221.33
Total Amount Overpayment (B+C)				**₹ 1,552.54**

MB was not verified by JE and no consumption statement was Shown in MB

सचिव
ग्राम पंचायत गरोला
विकास खण्ड भरमौर